मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ-21-02/2018/42(2) राज्य शासन एतद द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 04.09.2018 को लिये गये निर्णयानुसार तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र नीति 2018 आदेश जारी होने की तिथि से पॉच वर्ष तक के लिये परिशिष्ट-एक अनुसार लागू की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.जैन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक.शिक्षा कौशल विकास एवं रोज. विभाग

पृ. क्रमांक एफ-21-02/2018/42(2) भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, प्रध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तक. शिक्षा कौशल विकास एवं रोज.विभाग।
7. स्टॉफ ऑफिसर,प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तक. शिक्षा कौशल विकास एवं रोज.विभाग।

8. संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।
9. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
11. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक.शिक्षा कौशल विकास एवं रोज. विभाग

तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र नीति 2018

1. आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कौशल विकास रणनीति को दृष्टिगत और अत्यधिक कुशल जनशक्ति के पूल (Pool) को बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा उत्कृष्टता केंद्र (CoE) हेतु वित्तीय सहायता के लिए एक योजना प्रारंभ की जा रही है। जो जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी, एवं अगले 05 वर्ष के लिये प्रभावशील होगी।

2. **उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence-CoE)**

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों की अग्रणी भूमिका में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) विशिष्ट सेक्टर तकनीकों के प्रसार में सहायक होती है, जिसके कारण पूंजीगत निवेश आता है तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशिष्ट सेक्टर दक्ष जनशक्ति के साथ कुशल रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध होते है। उत्कृष्टता केन्द्र इन्क्यूबेशन केन्द्र तथा स्टार्ट अप के लिये भी सहायक होगें।

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) से वर्तमान में अग्रणी रूप से औद्योगिक नीति के अनुरूप निवेशकों की आवश्यकतानुसार सेक्टर विशिष्ट में जनशक्ति, अभियंताओं की आवश्यकतानुरूप उद्योंगों हेतु विशिष्ट तकनीकों का ज्ञान एवं शैक्षणिक संस्थानों हेतु उन्नत तकनीकी शिक्षण के अनुसार अद्यतन तकनीकों एवं पाठ्यक्रम सामग्री की अपेक्षा की जाती है।

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) एक संस्थान है जो प्रथमतः नियोक्ता, उद्यमी, प्रशिक्षणार्थी एवं शोधकर्ताओं के मध्य विशिष्ट कौशल को सुगमता से केन्द्रिकृत प्रचार कर प्रोत्साहित एवं सहयोग प्रदान करता है। यह शोध एवं विकास के विशिष्ट प्रयोजनमूलक क्षेत्रों, इन्क्यूबेशन सहायता, नवाचार, कौशल विकास आदि में सर्वोत्तम अभ्यास के प्रबंध में सहायता प्रदान करता है। इन केंद्रों का उददेश्य संभावित रोजगार, व्यापारिक सफलता और उत्पादता को बढ़ाना है।

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) किसी संस्था का एक भाग या एक पृथक शासकीय निकाय हो सकता है।

3. **पात्र संस्थायें (Eligible Organization)**

ऐसे संस्थान जो किसी संघ या उद्यम परिसंघ/महासंघ/चेंबर ऑफ कॉमर्स और उद्योग, औद्योगिक उद्यम, शासकीय सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू), तकनीकी कंपनी, शैक्षणिक संस्थान, अशासकीय संस्थाए है, और/या उससे संबंधित स्थापना है। अन्य संस्थायें जो राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) से अनुमोदित हो वे भी पात्र होंगे।

4. **राज्य स्तरीय सशक्त समिति (State Level Empowered Committee-SLEC)**

युवा सशक्तिकरण मिशन हेतु मंत्रि-परिषद् द्वारा गठित साधिकार समिति को इस योजना हेतु SLEC समझा जावेगा। यह समिति पात्र परियोजनाओं के परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करेगी।

परियोजना की स्वीकृति के समय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना में कौशल विकास में बाजार की मांग के स्तर की तकनीकियों का प्रस्ताव दिया गया है, एवं राष्ट्रीय मिशन "मेक इन इंडिया" के तहत् औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्वीकृत वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र/सेक्टर जिनकी पहचान कर ध्यान केंद्रित किया गया है में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप राज्य में कुशल जनशक्ति तथा निवेश प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया है।

5. नियत पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment)

नियत पूंजी निवेश का तात्पर्य ऐसे पूंजी निवेश से है, जिसे अचल परिसंपत्तियों जैसे भवन, नवीन कारखाना एवं मशीनरी, उपयोगी वस्तुऐं, उपकरण, विद्युतीकरण आदि पर निवेश किया गया है। सक्रिय योजना की अवधि में अर्जित परिसंपत्तियॉ एवं भुगतान (भूमि की लागत को छोड़कर) को नियत पूंजी निवेश के अंतर्गत विचार किया जावेगा।

6. आवर्ती व्यय (Recurring Expenditure)

परियोजना स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 2 वर्षो की अवधि में स्वीकृत संस्थाओं/एजेंसी को उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को operationalize किया जाना तथा स्थापित होने की दिनांक से 3 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित परियोजना लागत का प्रथम तीन वर्षों में निम्नलिखित शीर्ष/मद में किए गए व्यय को आवर्ती व्यय के रूप में परिभाषित किया जावेगा। यह व्यय संस्था द्वारा तीन वर्ष की चयन अवधि के लिये होगा जिसमें निम्नानुसार व्यय सम्मिलित किया जावेगा:-

6.1 उत्कृष्टता केंद्र (CoE) हेतु नियुक्त कर्मचारियों का वेतन।

6.2 प्रशासनिक व्यय जैसे कार्यालय और मशीनरी उपभोग्य वस्तु व्यय, संचार व्यय, विद्युत व्यय, आकस्मिकता व्यय, परियोजना से संबंधित शैक्षणिक कर्मचारीयों द्वारा भारत में की गई यात्रा व्यय।

7. नवीन भवन/वर्तमान भवन का नवीकरण (New Building/Refurbishing of existing Building)

7.1 नवीन भवन का तात्पर्य ऐसा भवन जिसमें परियोजना हेतु आवश्यक प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण कक्ष, जनसुविधा, प्रयोगशाला तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियॉ संपादित की जा सकें।

7.2 वर्तमान भवन का नवीकरण का तात्पर्य ऐसा वर्तमान भवन जिसमें सीओई परियोजना हेतु उत्कृष्ठता केंद्र (CoE) की गतिविधियों के अनुरूप पुर्नसज्जा और नवीनीकरण का कार्य आवश्यकतानुसार किया जा सकें।

8. अन्य बुनियादी सुविधायें (Other Infrastructural Facilities)

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) परियोजना हेतु राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) द्वारा अनुमोदित समस्त बुनियादी सुविधायें आवश्यक है।

9. कारखाना एवं मशीनरी (Plant and Machinery)

कारखाना एवं मशीनरी का तात्पर्य नवीन कारखाना, नवीन मशीनरी एवं नवीन उपकरणों से है, जिसका विद्युतीकरण एवं प्रतिष्ठापन किया गया हों। नवीन उपकरणों में प्रयोगशाला उपकरण, परीक्षण उपकरण तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु आवश्यक उपकरण शामिल है।

10. अन्य अचल परिसंपत्तियॉं (Other Fixed Asset)

अन्य अचल परिसंपत्तियों का तात्पर्य सीओई परियोजना में शिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थीयों हेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, फर्नीचर एवं परीक्षण यंत्र से है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट उपकरण परियोजना के लिए आवश्यक है, तो इसे राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) से अनुमोदन उपरांत परियोजना के भाग के रूप में विचार किया जावेगा।

11. सहयोग का परिमाण (Quantum of Assistance)

न्यूनतम 90 प्रतिशत पूंजी निवेश आवेदक संस्था द्वारा तथा शेष परन्तु अधिकतम 10 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। प्रस्तावित एजेंसी से यह आशा की जाती है कि वे परियोजना लागत में स्वयं के संसाधनों का निवेश करें। प्रति उत्कृष्टता केंद्र (CoE) हेतु स्वीकृत अवधि में परियोजना लागत की 10 प्रतिशत शासकीय सहायता राशि भी निम्नलिखित सीमाओं के अधीन उपलब्ध है:-

11.1 राज्य स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र (CoE) हेतु आवश्यक भवन के साथ रू. 40 करोड़ की सीमा तक राज्य का अंश निर्धारित किया जाता है। लगने वाले कर इस सीमा के अतिरिक्त हो सकते है।

11.2 राज्य स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान वह संस्थान होगा, जिसमें पूरे राज्य के पात्र प्रशिक्षणार्थी प्रवेश ले सकेंगे एवं राज्य स्तरीय संस्थान का संकाय पूरे राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलीटेकनिक कॉलेज के संकाय/ उपदेशकों को प्रशिक्षित कर सकेंगा।

11.3 कुल आवर्ती व्यय वार्षिक स्वीकृत सहायता राशि के अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

11.4 इस योजना के तहत् स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाऐं केन्द्र सरकार या निजी संस्थानों से सहायता या अंशदान लेने हेतु पात्र होगी, परन्तु राज्य सरकार से कुल सहायता या अंशदान 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

11.5 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित होने के प्रथम दिवस से ही उत्कृष्टता केन्द्र पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने का हक राज्य शासन को होगा।

12. संचालक मंडल (Board of Governance)

12.1 उत्कृष्टता केंद्र (CoE) में एक संचालक मंडल होगा जो, उत्कृष्टता केंद्र के कार्य-निष्पादन और विकास में सहयोग एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करेगा। परियोजना की संरचना में यह संचालक मंडल एक अनिवार्य भाग होगा। संचालक मंडल में आवेदक संस्थान/एजेंसी के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग या सेक्टर के प्रतिनिधि, प्रख्यात शिक्षाविद्, शासकीय कॉलेज का प्राचार्य और मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। संचालक मंडल का अध्यक्ष एक ऐसी शख्सियत होगी जिसकी प्रमाणित उपलब्धियॉ होगी। संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसी उद्योगपति/ शिक्षाविद् का चयन राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एसएलईसी) द्वारा किया जावेगा। संचालक मंडल के कार्यकाल की अवधि स्वीकृत परियोजना की सीमा तक रहेगी।

12.2 संचालक मंडल की सभा त्रैमास में कम से कम एक बार संपादित की जावेगी। दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन कार्यो हेतु यदि आवश्यक होता है तो संचालक मंडल एक परियोजना निदेशक या सीईओ या एक लघु प्रबंधन समिति की नियुक्ति भी कर सकता है।

13. चयन प्रक्रिया (Selection Procedure)

13.1 पात्र संस्थायें, राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था को एक आवेदन अग्रेषित करेगी, जिसमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, किये जाने वाले कार्यकलापों का विवरण, संस्था की तकनीकी क्षमता, वित्तीय साधन, परियोजना संचालन हेतु कार्य-पद्धति, स्थिर परिसम्पत्ति की आवश्यकता का औचित्य, परियोजना हेतु तकनीकी एवं नॉन-तकनीकी अमले की आवश्यकता आदि का विवरण शामिल होगा।

13.2 यदि उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को किसी अन्य संस्थानों में सहभागिता हेतु स्थापित किया गया है तो निष्पादित एमओयू/अनुबंध की प्रतिलिपि संलग्न करेगा।

13.3 उक्त नीति के तहत जो भी संस्था इस तरह का केन्द्र स्थापित करना चाहेगी, उसे इसकी अनुमति दी जायेगी। बजट की उपलब्धता के आधार पर "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के सिद्धान्त पर क्रियान्वित होगी। यह ओपन नीति है, जो भी संस्था इस प्रकार का निवेश करना चाहेगी, उसे बजट उपलब्धता के आधार पर अनुमति दी जायेगी।

13.4 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदक संस्थान को टर्नओवर दर्शाना आवश्यक होगा।

13.5 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदक संस्थान को स्थापित देश में मार्केट प्लेयर होना आवश्यक हैं।

13.6 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदक संस्थान पूंजीगत व्यय की राशि से अधिकतम 30 प्रतिशत राशि सॉफटवेयर में किया जा सकता हैं। शेष 70 प्रतिशत या अधिक की राशि हार्डवेयर में निवेश करना आवश्यक होगा,जिसमें मुख्यत: मशीन, भवन, उपकरण आदि सम्मिलित होंगे।

14. अन्य शर्तें (Other Conditions)

14.1 परियोजना स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 2 वर्षो की अवधि में स्वीकृत संस्थाओं/एजेंसी को उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को operationalize किया जाना तथा स्थापित होने की दिनांक से 3 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन करना अनिवार्य होगा।

14.2 राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) या शासन, परियोजना में परिभाषित परिणामों को प्रदत्त करने में असमर्थ परियोजनाओं की परियोजना संपत्तियों और अन्य अचल परिसंपत्तियों (परियोजना कर्मचारियों एवं Liabilities of the Project Applicant Organization को छोड़कर) को अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत रहेगी।

14.3 परियोजना हेतु आवेदित एजेंसी को राज्य शासन/म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड से एक अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसमें निर्धारित शर्ते बंधनकारी होगी एवं अनुबंध हस्ताक्षर होने के उपरांत ही सहायता प्रदान की जावेगी।

14.4 परियोजना लागत का 30 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् राज्य शासन के अंश का 50 प्रतिशत भाग जारी किया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत, सम्पूर्ण मशीन एवं उपकरण की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन करने के बाद किया जावेगा।

14.5 स्वीकृत परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संस्थायें:-

अ) उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को संचालक मण्डल द्वारा तीन से पॉच वर्ष की अवधि जैसा कि SLEC द्वारा निर्धारित किया गया हो, तक संचालन के बाद किसी विश्वविद्यालय या शासकीय इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक/आईटीआई अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य शासकीय संस्थान को समस्त आस्तियों सहित हस्तातरिंत किया जावेगा।

ब) राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के अनुमोदन उपरांत उत्कृष्टता केंद्र को प्रशासकीय विभाग को सौंपा जा सकेगा।

स) राज्य शासन उत्कृष्टता संस्थान को Self-Sustaining Revenue Model पर संचालित किया जायेगा।

15. बजट शीर्ष/मद (Budget Head)

नीति के क्रियान्वयन हेतु 'तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र योजना' नाम से बजट हेड निर्मित किया जावेगा, जिससे उत्कृष्टता केन्द्रों हेतु राज्य का अंश व्यय किया जावेगा।

16. उत्कृष्टता केन्द्र योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग/ पोलीटेकनिक महाविद्यालय/ आईटीआई संस्थानों/ महाविद्यालयों के विद्यार्थियो तथा शिक्षकों/ प्रशिक्षिकों को प्रशिक्षित किया जा सकेंगा।

17. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4 से 6 उत्कृष्टता केन्द्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन केन्द्रों पर 10 प्रतिशत के मान से लगभग राशि रू. 120 करोड का वित्तीय भार राज्य शासन पर आयेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.जैन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक.शिक्षा कौशल विकास एवं रोज. विभाग